



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(“मिनी रत्नकम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़ 335804-राजस्थान, श्रीगंगानगर,

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN: U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone : 01509-220006, 2,20084 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hragtarus.fsc



No. CSF/SOG/HRT/05/2024-25/

दिनांक:- 25.07.2024

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) स्थित फलों के बगीचे में वर्ष 2024-25 में फलो/वानिकी के पेड़ों को लगाने के लिए किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को करने हेतु निविदायें दिनांक 25/07/2024 सुबह 10.0 बजे से 07/08/2024 को दोपहर 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाएंगी जो कि 07/08/2024 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी। निविदा भरने के दौरान ऑनलाइन माध्यम से निविदा प्रपत्र राशि 236/- रुपये (200+18% GST) अथवा ईएमडी राशि रुपये 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) फार्म खाते में जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवम् कार्य के नियम व शर्तें निविदा अवधि के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10.00 से शाम 5.00 बजे तक फार्म से निविदा प्रपत्र राशि जमा कर प्राप्त किया जा सकती है व निगम की वेब साइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निविदादाता को अपने पेन कार्ड की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार अथवा अन्य सबूत की फोटो प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

प्रबन्धक (उ.)
कृते फार्म प्रमुख

PARTICULARS	DETAILS
Date of issue of NIT	25.07.2024
Date and time for submission of online bid	From 25.07.2024 10:00 AM To 07.08.2024 01:00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ, Suratgarh	07.08.2024 on 3.00 PM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/D.D.)	Rs. 236/- (Rs. 200+18% GST)
EMD Fee (to be deposited online on e-Nivida)	Rs. 10,000/-
Address for communication	Farm Head, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Suratgarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Sh. Sukhdeep Singh, Asst. Manager(Production) Mob.- 08901571906 Email:- ago.csfsuratgarh@gmail.com
	Sh. Aman Kumar, Junior Officer I (Agriculture), Mob:- 8178435683 Email:- hortcsfsog@gmail.com

DECLARATION / घोषणा

मैं/हम..... मेसर्स के मालिक/भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एतद्वारा निम्नानुसार पुष्टि व घोषणा करता हूँ/करते हैं :

I/We Proprietor/Partner/Authorized signatory of M/S do hereby solemnly confirm and declare as under:

1. मेरी उपरोक्त उल्लेखित फर्म/नाम को केंद्र/राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के किसी भी संगठन/विभाग/स्वायत्त निकाय/अनुसंधान संस्थान/निगम द्वारा उनकी निविदाओं/अनुबंधों में भाग लेने से रोक हेतु काली सूची में नहीं डाला गया है/असूचीबद्ध नहीं किया गया है या मुकदमा नहीं चलाया गया है।

My above mentioned firm/name has not been blacklisted/delisted/prosecuted by any organization/department/autonomous body/research institute/corporation of the Central/State or Union Territory for debarment from participating in their tenders/contracts.

2. मेरे विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।

There is no criminal case pending against me in the Court of law.

3. मैं/हम समझते हैं कि, यदि सेंट्रल स्टेट फार्म, सूरतगढ़ द्वारा मुझे/हमें दिए गए फलो/वानिकी के पेड़ों को लगाने के लिए किये जाने वाले विभिन्न कार्य के अनुबंध के किसी भी चरण में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई अनुबंध से सम्बंधित कोई भी जानकारी/दस्तावेज फार्म द्वारा गलत पाए जाते हैं तो अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार फार्म मेरे/ हमारे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

I/We understand that, if any information/documents relating to the contract submitted by me/us at any stage of the contract for **Various works to be carried out for planting of fruit/forestry trees** awarded to me/us by Central State Farm, Suratgarh are found to be incorrect, the farm can take disciplinary action against me/us as per the terms and conditions of the contract.

यह सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त घोषणा की सामग्री मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य है। इसमें मेरे द्वारा कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

It is verified that contents of above declaration are correct and true to the best of my knowledge and belief. Nothing has been concealed by me herein.

जगह/Place: _____

हस्ताक्षर/Signature: _____

तारीख/Date: _____

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम/
Name of Authorized Signatory: _____

पता/Address: _____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: _____

निविदा की तकनीकी आवश्यकता / Technical Requirement of Tender

PARTICULARS/ब्यौरा	DETAILS/विवरण
Copy of GST Registration (If Available)/ जीएसटी पंजीकरण की प्रति (अगर हो तो)	
Copy of Pan Card/ पैन कार्ड की प्रति	
Copy of valid Id Proof i.e. Aadhar Card/Voter Id/Driving License etc. वैध आई डी प्रूफ यानी आधार कार्ड / वोटर आईडी / डाइविंग लाइसेंस आदि की कॉपी।	
Copy of Firm Letter Head (If Available)/ फर्म लेटर हेड की प्रति (अगर हो तो)	
Details of EMD Deposit and Tender Form Fee (Rs.)/ ईएमडी जमा राशि एवं निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण (रु.)	
Terms & Conditions of Tender duly signed Note : Each page of Terms & Conditions should be signed by contractor/Tenderer विधिवत हस्ताक्षरित निविदा के नियम और शर्तें नोट: नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार/निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होने चाहिए	
Undertaking regarding non-blacklisting of his firm/Individual उसकी फर्म/व्यक्ति को काली सूची में न डालने के संबंध में वचनबद्धता	
Experience Related Document (If Available) अनुभव संबंधी दस्तावेज़ (अगर हो तो)	

जगह/Place: _____

हस्ताक्षर/Signature: _____

तारीख/Date: _____

नाम/ Name: _____

पता/Address: _____

फ़ोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: _____



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(“मिनी रत्नकम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)

केन्द्रीय राज्य फार्म

CENTRAL STATE FARM

सूरतगढ़ 335804-राजस्थान, श्रीगंगानगर,

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

CIN: U74899DL1963GOI 003913

(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone : 01509-220006, 2,20084 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hragtarus.fsc



क्रमांक: - के.रा.फा./सूरत./उद्यान/05/2024-25

दिनांक: 24.07.2024

टेण्डर फार्म

फलो/वानिकी के पेड़ो को लगाने के लिए किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की दरें वर्ष 2024-25

क्र. सं.	कार्य विवरण	दरें (रूपये)
1.	गड़ड़ों को 3X3X3 फुट साईज वृत्ताकार का खोदना (आवश्यकता अनुसार)। प्रति गड़ड़ा
2.	1X1X1 फुट साईज का वृत्ताकार गड़ड़ा खोदना (आवश्यकता अनुसार)। प्रति गड़ड़ा
3.	फार्म द्वारा खोदे गए गड़ड़ो को मिट्टी निकाल कर खली करना। प्रति गड़ड़ा
4.	खाद, मिट्टी व रेत अन्य को मिलाना व गड़ड़ा भरना। प्रति गड़ड़ा
5.	नर्सरी से एक से दो वर्ष उम्र के पौधे को पिंडी सहित खोदना प्रति पौधा
	नर्सरी से दो से तीन वर्ष उम्र के पौधे को पिंडी सहित खोदना प्रति पौधा
	नर्सरी से तीन वर्ष से अधिक उम्र के पौधे को पिंडी सहित खोदना प्रति पौधा
6.	नर्सरी से पौधे को फार्म ट्राली में लोड करके लाना व वृक्षारोपण की जगह उतारना। प्रति पौधा
7.	पौधे को गड़ड़ो में लगाना व एक बार पानी डालना। प्रति पौधा

जगह/Place: _____

हस्ताक्षर/Signature: _____

तारीख/Date: _____

नाम/ Name: _____

पता/Address: _____

फोन/मोबाइल नंबर/Phone/Mobile No: _____

आधार न./Aadhaar No. _____

पैन न./PAN No. _____



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(“मिनी रत्नकम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म

सूरतगढ़ 335804-राजस्थान, श्रीगंगानगर,

सीआईएन: यू74899डीएल1963जीओआई 003913

(प्रमाणित कंपनी 14001:2015 व 9001:2015 आईएसओ)

(A Government of India Undertaking “Mini Ratna” Company)

CENTRAL STATE FARM

Suratgarh, Sriganganagar, Rajasthan-335804

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)

दूरभाष/Phone : 01509-220006, 2,20084 223877

वेबसाइट/Website: www.indiaseeds.com

ईमेल/ E-mail: moc.sdeesaidni@hrgatarus.fsc



क्रमांक: - के.रा.फा./सूरत./उद्यान/05/2024-25

दिनांक: 24.07.2024

फलो/वानिकी के पेड़ों को लगाने के लिए किये जाने वाले विभिन्न कार्यों की दरें वर्ष 2024-25

- उद्यान एवम् नर्सरी कार्यों की निविदा में भाग लेने से पूर्व कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, खेत का खसरा-खतोनी, पैन कार्ड आदि प्रस्तुत करना होगा जिससे ठेकेदार का नाम, पता आदि की सही जानकारी हो सके। यदि ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हो।
- विभिन्न उद्यानिकी कार्यों को करने के इच्छुक ठेकेदार को उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों का ठेका एक वर्ष के लिए लेने हेतु **ईएमडी** रूपये **10000/- (रूपये दस हजार मात्र)** व **निविदा प्रपत्र राशि 236/- रूपये (200+18% GST)** को फार्म खाते में जमा कराना होगा। असफल निविदादाता की ईएमडी राशि निविदा समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।
- सफल निविदादाता को ठेके के सम्बन्ध में रूपये **500/- (रूपये पांच सौ मात्र)** के **नानु ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर** जो पार्टी को उपलब्ध करवाना होगा पर एक **समझौते (एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर** करने होंगे।
- सफल निविदादाता को समझौते के साथ सुरक्षा राशि (Security Money) 10000/- फार्म खाते में जमा करानी होगी। उक्त राशि में ईएमडी की राशि भी समायोजित की जा सकती है। सुरक्षा राशि कार्य समाप्ति के बाद में बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- यह अनुबंध दोनों फर्मों के बीच समझौता होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से सहमत अवधि के लिए समान नियम-शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
- फर्म द्वारा एकबार उद्धृत मूल्य अनुबंध की अवधि के लिए, बिना किसी वृद्धि/वृद्धि के किसी भी कारण से, जहां भी अनुबंध में विशेष रूप से प्रदान किया गया हो, के लिए रहेगा। उद्धृत मूल्य पीएफ, ईपीएलआई, ईएसआई, बोनस, बीमा और किसी भी अन्य वैधानिक देनदारियों के समावेशी होगा।
- मूल्य उद्धृत करते समय बोलीदाता को राजस्थान सरकार के प्रचलित लागू न्यूनतम वेतन (Minimum wages) को ध्यान में रखना चाहिए। यह बोलीदाता की जिम्मेदारी है कि वह अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी दायित्वों के बारे में खुद को शिक्षित करे।
- श्रमिक ठेकेदार को उसके मजदूरों का भुगतान स्वयं ही करना होगा तथा सभी प्रकार की वैधानिक जिम्मेदारी जैसे की कर सम्बन्धित, भविष्य निधि, ई.एस.आई इत्यादि श्रमिक ठेकेदार की होगी। भुगतान का पूर्ण विवरण रखना होगा जो कि आवश्यकता होने पर फार्म द्वारा कभी भी जाँचा जा सकता है।
- यदि कोई ठेकेदार ठेका लेने/सहमति पत्र पर स्वीकृति के बाद कार्य करने के लिए पर्याप्त श्रमिकों का प्रबन्ध समय से नहीं कर पाता है तो उद्यान प्रभारी/खण्ड प्रभारी अपने स्तर पर प्रबन्ध करेंगे यदि इस कार्य में निर्धारित दर से अधिक देना पड़ता है या निगम को कोई हानि होती है तो वह राशि ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से काटी जायेगी।
- कोई भी ठेकेदार या ठेकेदार का श्रमिक फार्म क्षेत्र में पशु नहीं रखेगा यदि कोई ठेकेदार पशु रखते हुए पाया गया तो ठेकेदार का ठेका रद्द किया जा सकता है।
- उद्यानिकी कार्यों को करने के लिए कस्सी, दरंती तथा कसौला आदि ठेकेदार/ठेकेदार के मजदूर स्वयं लेकर आयेगें।
- कार्यों की जांच का कार्य फार्म द्वारा किया जायेगा। यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो ठेकेदार को उस कार्य को दोबारा निःशुल्क करना होगा। दोबारा कराये गये कार्य का बिल नहीं बनाया जायेगा तथा असंतोषजनक कार्य की वजह से फसल की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ा तो निदेशक महोदय द्वारा गठित

कमेट्री के आंकलन के हिसाब से ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से उस नुकसान की भरपाई कर ली जावेगी।

13. किसी भी प्रकार के कार्य के लिए किसी भी निश्चित समय पर कोई अग्रिम देय नहीं होगा ठेकेदार अपने खर्च पर श्रमिकों संसाधनों व श्रमिकों की व्यवस्था करेगा। विशेष स्थिति में फार्म प्रमुख का निर्णय अंतिम होगा।
14. कार्य का भुगतान कार्य की समाप्ति के बाद ही किया जायेगा तथा बिल में से आवश्यकतानुसार टैक्स आदि की कटौती की जावेगी। बिल राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं/फर्म के बैंक खाते में ही किया जायेगा। किसी कारण से श्रमिक ठेकेदार को बिल के भुगतान में देर होने पर भी श्रमिक ठेकेदार को कार्य समय पर पूरा करवाना होगा।
15. ठेकेदार की लापरवाही अथवा मजदूरों की उचित व्यवस्था न होने के कारण यदि फार्म को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई ठेकेदार के द्वारा फार्म खाते में जमा राशी, बिल व अन्य कार्य के बिलों से की जावेगी।
16. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक प्लोट/मुराबा/चक का बिल अलग-अलग देना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यों का बिल पखवाड़े अथवा महीने के हिसाब से प्रस्तुत करना होगा।
18. ठेकेदार को मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि किसी परिस्थितिवश मजदूरों को लाने ले जाने अथवा रहने आदि की व्यवस्था फार्म को करनी पड़ी तो वह पूरा खर्चा फार्म की निर्धारित दरों पर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
19. फसल में पानी लगाते समय खालों की देख रेख एवं पानी लगाने तक का कार्य मन्जूर दरों पर करना होगा। यदि फसल में अधिक पानी लगा दिया गया तो फसल में से अधिक पानी को ठेकेदार द्वारा निःशुल्क निकालना होगा।
20. यदि फार्म सुपरवाइजर/अधिकारी/कर्मचारी तथा ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसका निपटारा निदेशक महोदय या उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
21. यदि ठेकेदार व उसके मजदूरों के बीच किसी तरह का विवाद न्यायालय में जाता है तो ठेकेदार फार्म का बचाव अपने खर्चे पर करेगा। यदि फार्म को न्यायालय में अपना बचाव स्वयं करना पड़ा तो, जो भी खर्चा फार्म को होगा वह ठेकेदार से भरपाई किया जायेगा।
22. फार्म में कार्य के दौरान ठेकेदार या उसके आदमियों के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या किसी प्रकार की शारीरिक क्षति होने की स्थिति में फार्म किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा।
23. श्रमिक ठेकेदार अपने मजदूरों को दवाई (बीज उपचार एवं फसलों में स्प्रे करवाते समय) का कार्य करते समय मास्क व दस्ताने स्वयं देने होंगे। फसलों में स्प्रे करते समय अथवा बीजों का उपचार करते समय **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा तथा उद्यान इन्चार्ज द्वारा बताये गये निर्देशों का पालन करेगा। कार्य के दौरान उक्त श्रमिकों को दवाई लगाने की स्थिति में, श्रमिक ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर उपचार करवायेगा।
24. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार बच्चों व शराब पीए हुए मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है।
25. यदि किसी ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक पूर्ण नहीं किया जाता है तो उसकी ईएमडी राशि/सुरक्षा राशी या दोनों को जब्त करते हुए उसका नाम 02 वर्षों के लिये डिबार सूची में डाल दिया जायेगा व उद्यानिकी कार्यों व अन्य कार्यों से जुड़े बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।
26. सभी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में समय से श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी।
27. सफल निविदादाता को आवंटित चक/क्षेत्र में यदि उसके द्वारा कोई कार्य समय से नहीं किया जाता है या कार्य हेतु मजदूर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्य किसी अन्य ठेकेदार से सफल निविदादाता की दर से करा लिया जायेगा, जिससे उसे कोई ऐतराज नहीं होगा।
28. **Arbitration clause** (मध्यस्थता खंड) : यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। पार्टियां कानून के न्यायालय में जानें से पहले मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने

के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कृषि अधिकारी